



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए क्रमांक 1538/ 2026

अजय कुमार परिहार

.....याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....प्रतिवादी(यो)

याचिकाकर्ता(कों) के अधिवक्ता : अशोक कुमार उपाध्याय, लक्ष्मण सिंह
प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार उपाध्याय की ओर से अधिवक्ता श्री शैलेंद्र कुमार सिंह और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. उमराव की दलीलें सुनीं।
2. इस न्यायालय ने दिनांक 04.02.2026 को रिट याचिका पर सुनवाई की और निर्देश मंगवाए। श्री आर.एस. उमराव, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पैलानी के हस्ताक्षर वाले दिनांक 16.02.2026 के निर्देश इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए, जिन्हें अभिलेख में ले लिया गया है।
3. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वह एक चपरासी है, जो पहले तहसील पैलानी में तैनात था। हालांकि, याचिकाकर्ता के अनुसार, उसे 26.02.2014 को आवासीय/आवास ई/22 आवंटित किया गया था, लेकिन दिनांक 24.12.2025 के आदेश के द्वारा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (वित्त राजस्व), बांदा ने क्वार्टर ई/2022 का आवंटन रद्द कर दिया है। इसी को चुनौती देते हुए यह रिट याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता पहले तहसील पैलानी में तैनात था, लेकिन याचिकाकर्ता को बिना सूचना दिए आवासीय आवास का आवंटन रद्द नहीं किया जा सकता था और यह आदेश बिना किसी कारण के है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



4. श्री आर.एस. उमराव, विद्वान स्थायी अधिवक्ता , निर्देश के आधार पर प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता वर्तमान में तहसील पैलानी में तैनात हैं और उन्हें दिनांक 28.01.2026 के आदेश के अनुसार टीआई ब्लॉक जीआई कमरा संख्या जी8 आवंटित किया गया है और उनके अनुसार शिकायतें थीं। याचिकाकर्ता के विरुद्ध तहसील पायलानी में आवास का अनुरोध किया गया था, लेकिन याचिकाकर्ता को आवास आवंटित नहीं किया गया है।

5. मैंने बार में दिये गए सभी निवेदनो को सुना है और अभिलेख का अध्ययन किया है।

6. जाहिर तौर पर याचिकाकर्ता आवासीय आवास ई/22 के आवंटन रद्द किए जाने से असंतुष्ट है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता से यह स्पष्ट रूप से पूछा गया कि क्या याचिकाकर्ता तहसील पैलानी में चपरासी के पद पर तैनात है, जिसका उत्तर "हाँ" था। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह भी स्पष्ट रूप से पूछा गया कि क्या याचिकाकर्ता को 28.01.2026 को आवंटित आवास तहसील पैलानी में है, तो उत्तर फिर से "हाँ" था। जब स्थिति यही है, तो याचिकाकर्ता किसी विशेष आवास के आवंटन पर जोर नहीं दे सकता। हालांकि याचिकाकर्ता के अनुसार, 24.12.2025 का आदेश सत्र के मध्य में पारित किया गया है, लेकिन श्री आर.एस. उमराव, स्थायी अधिवक्ता , निर्देशों के अनुसार, 3.03.2026 तक याचिका पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और न ही बेदखली की जाएगी।

7. हस्तक्षेप के लिए कोई ठोस आधार नहीं बनता। रिट याचिका का निपटारा कर दिया गया है।

फरवरी 17, 2026

एमेन

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”